न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ. आरूषी मलिक, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./09/2020/नागौर (2020/00009)

विभागीय अपील द्वारा श्री कालूराम मीणा सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपखण्ड नांवा जिला नागौर ने जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक प.1(सी)(13)संस्था/वि.जां./2015/526 दिनांक 01–02–2018 के आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत प्रस्तुत की जिसमे '' कार्मिक को 714 दिवस की अनुपस्थित अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिये सेवा का शून्यकाल (dies non) मानी जायेगी तथा अनुपस्थित अवधि पेंशन प्रयोजनों के लिये सेवा में व्यवधान (interruption) मानी जायेगी। कार्मिक की निलम्बन अवधि 02.09.2013 से 19.03.2015 को नियमित किया जाता है। '' दण्डित किया गया है।

उपस्थित :– श्री कालूराम मीणा सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपखण्ड कार्यालय, नांवा जिला नागौर ।

निर्णय

दिनांक 10.09.2020

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 01–02–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 02.02.2015 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये:–

आरोप संख्या 01 :–

उपखण्ड कार्यालय नांवा में पदस्थापित रहने के दौरान दिनांक 09.03.2010 से 12.12.2010 तक सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बिना ही अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे हैं। राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अवकाश स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक है किन्तु आप द्वारा न तो अवकाश स्वीकृति हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार आप द्वारा स्वेच्छा से 9 माह की लम्बी अवधि के लिये अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे हैं जो राजस्थान सेवा नियम 86 के अन्तर्गत जानबूझ कर स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने की श्रेणी में आता है जिसके लिये आप उत्तरदायी है। आपका उक्त कृत्य राजस्थान सेवा नियमों के विपरित होने के साथ साथ अपने पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन करने की श्रेणी में आता है।

<u>आरोप संख्या 02</u> :–

श्री कालूराम मीणा च.श्रे.कर्म. उपखण्ड कार्यालय नांवा में पदस्थापित रहने के दौरान दिनांक 18.06.2012 से लगातार अपनी डयूटी से अनुपस्थित चल रहे है। आप द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष न तो कोई अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही मुख्यालय छोड़ने की कोई पूर्वानुमति प्राप्त की गई है। आप द्वारा लम्बे समय से अपनी डयूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा अपने आदेश संख्या 920 दिनांक 02.09.2013 द्वारा आपको निलम्बित किया गया लेकिन आप द्वारा निलम्बनकाल के दौरान अपने मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य राजस्थान सेवा नियम 86(3) के अन्तर्गत स्वेच्छा से अनुपस्थिति रहने के साथ साथ अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को उपरोक्त आरोपो बाबत् 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.07.2017 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। दौराने व्यक्तिगत सुनवाई अपीलार्थी द्वारा लिखित अभिकथनों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये सेवानिवृत्ति तिथि नजदीक होने से सहानुभूति पूर्ण रूख अपनाते हुये कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 01–02–2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए '' कार्मिक की 714 दिवस की अनुपस्थित अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिये सेवा का शून्यकाल (dies non) मानी जायेगी तथा अनुपस्थित अवधि पेंशन प्रयोजनों के लिये सेवा में व्यवधान (interruption) मानी जायेगी। कार्मिक की निलम्बन अवधि 02.09.2013 से 19.03.2015 को नियमित किया जाता है '' के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, नागौर के उक्त दण्डादेश को अपीलार्थी द्वारा जरिये विचाराधीन अपील चुनौती दी गई।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, नागौर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी कार्मिक को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने अपील कथनो को दोहराते हुये कथन किया है कि जिला कलक्टर, नागौर का आदेश दिनांक 01.02.2018 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी का कथन है कि उनके द्वारा दोनो ही आरोपों का जबाब जांच अधिकारी एवं अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अपीलार्थी अक्सर बीमार रहता है। यादशक्ति कमजोर होने एवं वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने मे तत्समय शारीरिक रूप सक्षम नहीं होने के कारण आक्षेपित अवधि में कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। अपीलार्थी का उक्त अवधि में गांव में वैद्य हकीमों से ईलाज चला है। बीमारी के कारण ही अपीलार्थी अपनी डयूटी से अनुपस्थित रहा है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के उपरोक्त जबाब को न तो जांच अधिकारी एव ना ही जिला कलक्टर नागौर ने ही सही माना। इस प्रकार जो वास्तविक तथ्य थे, वह अपीलार्थी ने इन दोनो अधिकारियों के सामने रखे थे। अपीलार्थी दिनांक 08.03.2020 को ही कार्यालय में उपस्थित होने के दौरान अस्वस्थ हो गया था। अपीलार्थी को कई दिनों तक होश नहीं आया एवं याददाश्त भी नहीं रही। इसके पश्चात् अपीलार्थी के घरवालों ने गांव में ही रहकर नीम–हकीमों से ईलाज करवाया तथा गांवों में उपर ही हवा मानते हुये भोपों से झाड़–फुंक लगवाये। अपीलार्थी

अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। बीमारी के कारण शारीरिक रूप से काफी कमजोर होने के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। अपीलार्थी की इससे पहलें भी कोई अनुपस्थिति दर्ज नहीं की गई है तथा वह अपने पूर्ण सेवाकाल में कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा है। जहां तक निलम्बन काल से मुख्यालय में अनुपस्थित रहने का आरोप है, तो अपीलार्थी को इसकी जानकारी ही नहीं है कि उसे निलंबित कर दिया गया है। वह तो बेसुध होकर अपने घर पर पड़ा था। इस प्रकार जो भी अनुपस्थिति रही है, वह सद्भाविक है। राजस्थान सेवा नियमों के तहत अनुपस्थित अवधि का असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) स्वीकृत करने के प्रावधान है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आगे कथन किया कि मेरी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2018 को हो जाने से आदिनांक तक मेरी पेंशन नहीं बनी है। उपखण्ड अधिकारी नांवा के कार्यालय में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत था तब अधिकारी के घर पर खाना बनाता था। उस दौरान मेरी अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण लम्बे समय तक कार्यालय नहीं आ सका। इस वजह से उपखण्ड अधिकारी द्वारा मेरे विरूद्ध यह कार्यवाही प्रस्तावित कर मुझे दण्डित किया गया है जो नियम विरूद्ध है।

अपचारी कर्मचारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि मैं लम्बे समय तक बीमार रहा, डाक्टरों को दिखाकर दवाई भी ली परन्तु मानसिक बीमारी के चलते व आठ वर्ष की अवधि का लम्बा अन्तराल हो जाने के कारण चिकित्सकीय प्रमाण को सुरक्षित नहीं रखने से गुम हो गये है। सेवानिवृत्ति उपरान्त अभी तक मेरी पेंशन नहीं बनी है। मेरी आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक स्थिति खराब होने के कारण मेरे समक्ष परिवार की जीविका उपार्जन की समस्या हो गई है। उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर प्रकरण में मेरे प्रति सहानुभूति पूर्ण रूख अपनाते हुये न्यायहित में अपीलाधीन दण्डादेश दिनांक 01.02.2018 को निरस्त फरमाया जाकर मेरी अनुपस्थित अवधि को समस्त प्रयोजनों हेतु नियमित करवाते हुये नियमानुसार देय वेतन/परिलाभ, भत्तें सहित पेंशन प्रकरण तैयार करवाये जाने को आदेश प्रदान करावें।

अपीलार्थी द्वारा सुनवाई दौरान व्यक्त कथनों एवं प्रस्तुत अपील व परिपेक्ष्य में जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया गया। टिप्पणी में अपील का पेरा सं0 1 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं की जाकर नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना अंकित किया है। अपील के पैरा सं 2 आंशिक रूप से अस्वीकार व अपील के पैरा सं0 3 सही होने से स्वीकार होना अंकित किया गया है। अपील आधार के अन्तर्गत बिन्दु सं0 01 से 09 एवं 11 से 13 को कार्मिक के सेवानिवृत्त होने के बिन्दु तक स्वीकार कर समस्त बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया है। टिप्पणी के अतिरिक्त अनुच्छेद में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा 714 दिवस की लम्बी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, अपीलार्थी अपनी बीमारी के तथ्य को सिद्ध करने मे असफल रहने के कारण आदेश जैर अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपील 20 माह 24 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 25 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने की सीमा 03 माह निर्धारित है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है ओर न ही लम्बे विलम्ब के कोई कारण स्पष्ट किये गये है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपीलार्थी पर दो आरोपो से आरोपित किया

गया। उक्त आरोपों की जांच करने हेतु जिला कलक्टर नागौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कुचामन को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार नांवा को विभागीय पैरोकार नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.09.2017 व 09.01.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर नागौर को प्रेषित किया गया। जिसमें जांच अधिकारी ने अपीलार्थी पर आरोप संख्या 1 व 2 पूर्णतया सिद्ध माने है जिसके आधार पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपीलार्थी की 714 दिवस की अनुपस्थित अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिये सेवा का शून्यकाल (dies non) मानी जायेगी तथा अनुपस्थित अवधि पेंशन प्रयोजनों के लिये सेवा में व्यवधान (interruption) मानी जायेगी। कार्मिक की निलम्बन अवधि 02.09.2013 से 19.03.2015 को नियमित किया जाता है, के दण्ड से दण्डित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन अनुसार अपचारी कार्मिक दिनांक 09.03.2010 से 12.10.2010, दिनांक 14.10.2010 से 27.10.2010, दिनांक 29.10.2010 से 12.12.2010, दिनांक 18.06.2012 से 22.06.2012 एवं दिनांक 27.06.2012 से 01.09.2013 तक कुल 714 दिवस (01 वर्ष 11 माह 19 दिन) अवकाश स्वीकृत कराये बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में स्वयं की शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता के कारण सेवा से अनुपस्थित रहना व्यक्त किया है तथा उक्त अस्वस्थता लम्बे अन्तराल के कारण उनके द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने यह भी कथन किया है कि उक्त अवधि के अतिरिक्त वह सम्पूर्ण सेवाकाल में लम्बी अनुपस्थिति का उसका कोई रेकार्ड भी नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा जानबूझकर राजकार्य में कोई लापरवाही किये जाने अथवा आदेशों की अवहेलना किये जाने के तथ्य भी हमारे समक्ष मौजूद नहीं है।

अतएव प्रकरण में अपीलार्थी को जारी आरोप पत्र एवं अपीलार्थी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई दौरान व्यक्त कथनों एवं जबाब से सहमत होते हुये मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप, एक चतुर्थ श्रेणी (अल्पवेतनभोगी) कार्मिक के लम्बे समय तक शारीरिक/मानसिक बीमारी तथा सेवा नियमों की जानकारी के अभाव मे चिकित्सीय प्रमाण आठ वर्ष के लम्बे अन्तराल के कारण सुरक्षित नहीं रख पाने के कारण सेवा/कर्तव्य से प्रश्नगत अवधि में अनुपस्थित रहना तथा सेवा संबंधी नियमों की पूर्ण जानकारी के अभाव में चिकित्सीय प्रमाण तत्समय प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रकट होता है। सुनवाई दौरान भी आठ वर्ष के लम्बे अन्तराल के कारण अपने कथनों की पुष्टि में चिकित्सीय प्रमाण प्रस्तुत करने में अपचारी कार्मिक का असमर्थ होना प्रकट आया है। अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपचारी कार्मिक पर आरोपित आरोप पूर्णतया सिद्ध नहीं होना पाया जाता है। चूकिं अपचारी कार्मिक दिनांक 30.09.2018 को सेवानिवृत्त हो चुका है तथा आज दिनांक तक उसकी पेंशन संबंधी कार्यवाही भी नहीं हुई है जिससे वह एवं उसका परिवार वर्तमान परिस्थिति में मुश्किल दौर में होने तथा आर्थिक व मानसिक पीड़ा से गुजरना प्रकट आया हैं। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपचारी कार्मिक श्री कालूराम मीणा, सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय नांवा, जिला–नागौर के विरूद्ध जिला कलक्टर, नागौर द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश क्रमांक प. 1(सी)(13)संस्था/वि.जां./2015/526 दिनांक 01–02–2018 **''कार्मिक को 714 दिवस की अनुपस्थित अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिये सेवा का शून्यकाल (dies non) माने जाने तथा अनुपस्थित अवधि पेंशन प्रयोजनों के लिये सेवा में व्यवधान (interruption) माने जाने**'' की हद तक विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी श्री कालूराम मीणा सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपखण्ड कार्यालय नांवा जिला नागौर की

अपील स्वीकार की जाकर अपचारी कार्मिक की बीमार/अनुपस्थित अवधि को सेवाकाल के समस्त प्रयोजन हेतु नियमित माने जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। जिला कलक्टर नागौर के आक्षेपित आदेश दिनांक 01.02.2018 द्वारा अपीलार्थी कार्मिक श्री कालूराम मीणा की निलम्बन अवधि 02.09.2013 से 19.03.2015 को नियमित किये जाने का आदेश यथावत माना जावेगा। निर्णय प्रति संबंधित को जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.09.2020 को सुनाया गया।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर